न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक– /2015 निगरानी निगरानी 108-II-15

1. सौभाग्यमल पिता इंदरमल महाजन आयु–68 वर्ष, धंधा–कृषि
2. पारसचन्द्र पिता इन्दरमल जी महाजन आयु–52 वर्ष, धंधा–कृषि निवासीगण–डग रोड़ बड़ौद, तहसील बड़ौद, जिला आगर
3. श्रीमती सुषमा विधवा अशोककुमार आयु–40 वर्ष धंधा–गृहकार्य
4. प्रियंका पिता अशोककुमार आयु–21 वर्ष
5. श्रेयांश पुत्र अशोककुमार आयु– 7 वर्ष अवयस्क
6. कु. आयुषी पुत्री अशोककुमार आयु–16 वर्ष, अवस्यक द्वारा नैसर्गिक संरक्षक माता श्रीमती सुषमा विधवा अशोककुमार,

निवासीगण–हाटपुरा बाजार बड़ौद तहसील बड़ौद, जिला आगर

..................प्रार्थीगण

प्रार्थी अभिभाषक श्री अश्विन चौधरी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13-1-15 लिपिक 13.1.15 आयुक्त कार्यालय उज्जैन

दिनांक 14.1.15

— विरूद्ध —

मध्यप्रदेश शासन ....प्रतिप्रार्थीगण

विषय– न्यायालय अपर राजस्व आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 54/अपील/06–07 में दिनांक 22–11–2014 को पारित ओदश के पुनरीक्षण हेतु निगरानी याचिका धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत

16-1-15

महोदय,

प्रार्थीगण की और से निम्नलिखित निगरानी याचिका प्रस्तुत है–

1. यह कि पटवारी कस्बा बड़ौद ने सर्व क्रमांक 158/1 रकबा 0.052 आरे का अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट तहसीलदार बड़ौद के न्यायाल में प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार बड़ौद ने प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 248 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया और प्रकरण में दिनांक 04–02–2005 को आक्षेपित आदेश प्रदान कर 1500=00 रूपये अर्थदण्ड व बेदखली का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर प्रार्थीगण ने प्रथम अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी आगर बड़ौद के समक्ष प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 21/अपील/2005–06 पर दर्ज होकर दिनांक 30–06–2006 को निरस्त कर दी गयी।

2. यह कि प्रार्थीगण ने उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर द्वितीय अपील न्यायालय अपर राजस्व आयुक्त उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की जो आक्षेपित आदेश दिनांक 22–11–2014 के द्वारा निरस्त कर दी गयी। उक्त आदेश के पुरनीक्षण हेतु निगरानी याचिका निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत हैं :–

आधार

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

2. यह कि सर्वे क्रमांक 158/1 रकबा 0.052 नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित हैं, इस कारण संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही बाधित होती हैं। इस वैधानिक बिन्दु पर कोई विचार नहीं करने में गम्भीर वैधानिक त्रुटि की गयी हैं।

3. यह कि प्रार्थीगण ने किसी भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया हैं। प्रार्थीगण अपने स्वामित्व की

Contd.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 108–दो/2015 जिला आगर

सौभाग्यमल आदि विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3 –3–2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन के प्रकरण कमांक 54/अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक 22–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि आवेदक के विरूद्ध तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 248 का प्रकरण चलाया गया तथा अर्थदण्ड एवं बेदखली का आदेश दिया गया जबकि आवेदक अपनी भूमि पर काबिज है उसके द्वारा किसी प्रकार का अतिकमण नहीं किया है। पटवारी द्वारा सर्वे कमांक 153 रकबा 1.003 के अतिकमण के संबंध में रिपोर्ट पेश की थी परन्तु तहसीलदार ने सर्वे कमांक 158 पर बिना जांच के आवेदक का अतिकमण मानकर आदेश पारित कर दिया। विवादित भूमि का बिना सीमांकन किये और आवेदक द्वारा आपत्ति एवं सीमांकन का आवेदन पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न आदेश की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ने तहसीलदार शाजापुर के समक्ष शासकीय रास्ते एवं भूमि पर अतिकमण होने संबंधी प्रतिवेदन पर तहसीलदार द्वारा जांच उपरांत आवेदक के विरूद्ध बेदखली का आदेश दिया है जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखा गया है। आवेदक द्वारा निगरानी में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में ऐसी त्रुटि नहीं बतलाई है जिससे तीनों समवर्ती	

निष्कर्ष में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी में प्रथमदृष्टया ग्राह्यता का कोई आधार प्रकट नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जहां तक आवेदक के इस तर्क का प्रश्न है कि आवेदक के आपत्ति एवं स्वयं की भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा आवेदक की भूमि का सीमांकन नहीं किया। अतः अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये जाते है कि यदि आवेदक द्वारा स्वयं की भूमि के सीमांकन बावत आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो संहिता में प्रावधानित सीमांकन के नियमों के अनुसार आवेदक की भूमि का सीमांकन करें। इस प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होने से प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य